राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 14.04.2020

<u>आदेश</u>

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित क्षेत्रों के निवासियों की अन्य सामान्य बीमारियों का ईलाज किये जाने में कतिपय निजी चिकित्सालयों द्वारा आनाकानी की जा रही है, जो किसी भी परिस्थिति में उचित व स्वीकार्य नहीं है। इस क्रम में सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित क्षेत्रों के निवासियों की अन्य सामान्य बीमारियों के ईलाज में आनाकानी नहीं करें व उनका समुचित ईलाज करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में ऐसे निजी चिकित्सालयों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

इसी क्रम में जयपुर शहर में कोविड–19 के कारण चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू होने एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चारदीवारी क्षेत्र में निवासरत आमजन के समस्त उपचार की सुविधा के लिए राजकीय गणगौरी बाजार अस्पताल, जयपुर को Dedicated अस्पताल घोषित किया जाता है। अतः जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर निवास करने वाले आमजन को उनके समस्त उपचार के लिए शहर में स्थित अन्य निजी चिकित्सालयों के साथ ही राजकीय गणगौरी बाजार अस्पताल, जयपुर में भी उपचार की सुविधा निरन्तर उपलब्ध रहेगी।

14/04/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
4. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी कोविड–19, जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविघालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, राजकीय गणगौरी बाजार अस्पताल, जयपुर
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जयपुर
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर
14. निजी /रक्षित पत्रावली

14.4.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव